रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 41] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 27, 2012/फाल्गुन 8, 1933
No. 41] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 27, 2012/PHALGUNA 8, 1933

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 2012

फा. सं. भा.आ.प.-31(1)/2010-मेडि/62051.— भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, "स्नातक चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 1997" में पुन: संशोधन करने हेतु, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामत: :—

1. (i) इन विनियमों को "स्नातक चिकित्सा शिक्षा (संशोधन) विनियमावली, 2012 (भाग-I)" कहा जाए ।

(ii) वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. स्नातक चिकित्सा शिक्षा (संशोधन) विनियमावली, 2010 (भाग-II), संदर्भ दिनांक 21 दिसम्बर, 2010 की अधिसूचना सं. भा.आ.प.-31(1)/2010-मेडि/49068 में प्रकाशित दिनांक 27 दिसम्बर, 2010 को 2013-2014 से आरम्भ हो रहे शैक्षिक वर्ष से लागू किया जाएगा ।

3. "स्नातक चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 1997" में निम्नलिखित परिवर्धन/संशोधन/विलोप/प्रतिस्थापन दर्शाए जाएंगे :—

4. अध्याय-II में "एमबीबीएस पाठ्यक्रम में चयन की प्रक्रिया निम्नलिखित होगी" शीर्षक के अंतर्गत दिनांक 21 दिसम्बर, 2010 की अधिसूचना सं. भा.आ.प.-31(1)/2010-मेडि/49068 के अंतर्गत यथासंशोधित खंड 5, उप-खंड (II) को निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा

"II. किसी विशेष अकादमिक वर्ष के लिए एमबीबीएस पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए पात्र होने हेतु किसी अभ्यर्थी के लिए यह आवश्यक होगा कि वह उक्त अकादमिक वर्ष के लिए अयोजित की गई "एमबीबीएस पाठ्यक्रम के लिए राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा" में कम से कम 50वें पर्सेंटाईल पर अंक प्राप्त करें । तथापि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियो के संबंध में अंक कम से कम 40वे पर्सेंटाईल पर हों । ऊपर खंड 4(3) के अनुसार निचले अंगों की गतिक विकलांगता वाले अभ्यर्थियो के संबंध में अंक कम से कम 45वें पर्सेंटाईल पर हों । पर्सेंटाईल का निर्धारण, एमबीबीएस पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए "राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा" में अखिल भारतीय सामूहिक मेरिट सूची में प्राप्त उच्चतम अंकों के आधार पर किया जाएगा:

बशर्ते कि जब संबंधित श्रेणियों में पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी एमबीबीएस पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए किसी अकादमिक वर्ष के लिए आयोजित की गई राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा में यथाविनिर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करने में विफल रहते हैं तो भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के परामर्श से, केन्द्र सरकार अपने विवेक पर सबंधित श्रेणियों से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए एमबीबीएस मे दाखिले हेतु अपेक्षित न्यूनतम अंक कम कर सकती है और केन्द्र सरकार द्वारा इस प्रकार कम किए गए अंक केवल उक्त अकादमिक वर्ष के लिए लागू होंगे ।"

5. अध्याय-II में "एमबीबीएस पाठ्यक्रम में चयन की प्रक्रिया निम्नलिखित होगी" शीर्षक के अंतर्गत दिनांक 21 दिसम्बर, 2010 की अधिसूचना सं. भा.आ.प.-31(1)/2010-मेडि/49068 के अंतर्गत यथासंशोधित खंड 5, उप-खंड (II) में निम्नलिखित जोड़ा जाएगा :

"VI. एमबीबीएस पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए पात्र होने के लिए किसी अभ्यर्थी को भौतिक-विज्ञान, रसायन-विज्ञान, जीव-विज्ञान/ जैव-तकनीकी और अंग्रेजी विषयों में अलग-अलग उत्तीर्ण होना चाहिए और विनियम 4 के खंड (2) में यथाउल्लिखित अर्हक परीक्षा में भौतिक विज्ञान, रसायन-विज्ञान और जीव-विज्ञान/ जैव-तकनीकी में कुल मिलाकर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने चाहिए और इसके अलावा एमबीबीएस पाठ्यक्रम मे दाखिले के लिए "राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा" में आना चाहिए । अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों या अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित अभ्यर्थियों के संबंध में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान/जैव-तकनीकी में, अर्हक परीक्षा में कुल मिलाकर प्राप्त किए जाने वाले अंक 50 प्रतिशत के बजाए 40 प्रतिशत होंगे । ऊपर खंड 4(3) के अनुसार निचले अंगों की गतिक विकलांगता वाले अभ्यर्थियों के संबंध में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान/जैव-तकनीकी में, अर्हक परीक्षा में न्यूनतम अंक कुल मिलाकर 50 प्रतिशत के बजाए 45 प्रतिशत होंगे:

बशर्ते कि कोई अभ्यर्थी जो ऐसी अर्हक परीक्षा में बैठा है, जिसका परिणाम अभी घोषित नहीं किया गया है, उसे राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा देने की अनुमति प्रदान की जा सकती है और एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए चयन हो जाने की स्थिति में उसे उस पाठ्यक्रम मे दाखिल तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कि वह विनियम 4 के अंतर्गत पात्रता का मापदण्ड पूरा न कर ले ।

VII. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा आयोजित करेगा ।"

डॉ. संगीता शर्मा, सचिव

[विज्ञापन III/4/100/11/असा.]

पाद टिप्पणी : प्रधान नियमावली नामत: "स्नातक चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 1997" दिनाक 4 मार्च, 1997 को भारत के राजपत्र के भाग III, खड (4) में प्रकाशित की गई थी और इस भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की दिनांक 29-5-1997, 2-7-2002, 30-9-2003, 16-10-2003, 1-3-2004, 20-10-2008, 15-12-2008, 22-12-2008, 25-3-2009, 19-4-2010 और 27-12-2010 की अधिसूचना के अंतर्गत संशोधित किया गया था ।

MEDICAL COUNCIL OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th February, 2012

F. No. MCI-31(1)/2010-Med/62051.—In exercise of the powers conferred by Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Medical Council of India with previous approval of the Central Government hereby makes the following regulations to further amend the "Regulations on Graduate Medical Education, 1997", namely :—

1. (i) These Regulations may be called the "Regulations on Graduate Medical Education (Amendment), 2012 (Part-I)".

(ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Regulations on Graduate Medical Education (Amendment), 2010 (Part II), *vide* notification No. MCI 31(1)/ 2010-Med/49068, dated 21st December, 2010 published on 27th December, 2010, shall be applicable from the academic year commencing from 2013-2014.

3. In the "Regulations on Graduate Medical Education, 1997", the following additions/modifications/ deletions/substitutions, shall be as indicated therein :—

4. In Chapter II, clause 5, sub-clause II, under the heading "Procedure for selection to MBBS course shall be as follows", as amended *vide* notification No. MCI-31(1)/ 2010-Med/49068, dated 21st December, 2010, shall be substituted as under :

"II. In order to be eligible for admission to MBBS Course for a particular academic year, it shall be necessary for a candidate to obtain minimum of marks at 50th percentile in 'National Eligibility-cum-Entrance Test to MBBS course' held for the said academic year. However, in respect of candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, the minimum marks shall be at 40th percentile. In respect of candidates with locomotory disability of lower limbs terms of Clause 4(3) above, the minimum marks shall be at 45th percentile. The percentile shall be determined on the basis of highest marks secured in the All-India common merit list in 'National Eligibility-cum-Entrance Test for admission to MBBS course':

Provided when sufficient number of candidates in the respective categories fail to secure minimum marks as prescribed in National Eligibility-cum-Entrance Test held for any academic year for admission to MBBS Course, the Central Government in consultation with Medical Council of India may at its discretion lower the minimum marks required for admission to MBBS Course for candidates belonging to respective categories and marks so lowered by the Central Government shall be applicable for the said academic year only."

In Chapter II, clause 5, sub-clause II, under the heading "Procedure for selection to MBBS course shall be as follows", as amended *vide* notification No. MCI-31(1)/ 2010-Med/49068, dated 21st December, 2010, shall be added as under :

"VI. To be eligible for admission to MBBS course, a candidate must have passed in the subjects of Physics, Chemistry, Biology/Bio-technology and English

individually and must have obtained a minimum of 50% marks taken together in Physics, Chemistry and Biology/ Bio- technology at the qualifying examination as mentioned in clause (2) of Regulation 4 and in addition must have come in the merit list of 'National Eligibility-cum-Entrance Test' for admission to MBBS course. In respect of candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes or Other Backward Classes, the minimum marks obtained in Physics, Chemistry and Biology/ Bio-technology taken together in qualifying examination shall be 40% instead of 50%. In respect of candidates with locomotory disability of lower limbs in terms of Clause 4(3) above, the minimum marks in qualifying examination in Physics, Chemistry and Biology/Bio-technology taken together in qualifying examination shall be 45% instead of 50%:

Provided that a candidate who has appeared in the qualifying examination the result of which has not been declared, he/she may be provisionally permitted to take up the National Eligibility-cum-Entrance Test and in case of selection for admission to the MBBS course, he/she shall not be admitted to that course until he fulfils the eligibility criteria under Regulation 4.

VII The Central Board of Secondary Education shall be the organization to conduct National Eligibility-cum-Entrance Test for admission to MBBS course."

Dr. SANGEETA SHARMA, Secy.

[ADVT. III/4/100/11/Exty.]

Foot Note : The Principal Regulations namely, "Regulations on Graduate Medical Education, 1997" were published in Part III, Section (4) of the Gazette of India *vide* Medical Council of India Notification dated the 4th March, 1997 and amended *vide* Council notification dated 29-05-1999, 02-07-2002, 30-09-2003, 16-10-2003, 01-03-2004, 20-10-2008, 15-12-2008, 22-12-2008, 25-03-2009, 19-04-2010 and 27-12-2010.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.